

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेडवा

राजस्व मुकद्दमा नं. 15/2019 निर्णय दिनांक 10/10/19


अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का मैरडी की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
जिसके अनुसार अप्रार्थी ने सरकारी भूमि मौजा मैरडी के ख.न. 249/161 में रकबा 10 बीघा
किस्म बा.सोपह पर संवत् 2076 खरीफ में काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है।
अप्रार्थी को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी से
तामिल हो चुका है अप्रार्थी उपस्थिति/अनुपस्थिति।

अप्रार्थी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार
किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल
मे लाई जाती है। अतः अप्रार्थी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्रार्थी पर बतौर लगाया शस्ति के
भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.60 का 50 गुणा रूपये 30
अक्षरे तीस रूपये आरोपित किये जाते हैं भू.अ. निरीक्षक हल्का गामडी
को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जब्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को
नाजायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन मे पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतू पटवारी हल्का
एवं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।

पत्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10/10/19
को सरे आम लिख कर सुनाया गया।


तहसीलदार सेडवा